

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र05(2)बजट आवंटन(स्था0 एवं प्रति0 व्यय)-03/2025 २९ (अप्रैल) खाद्य, पटना/दिनांक २५/०९/२०२५

प्रेषक,

मो० नैय्यर इकबाल,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बिहार, पटना।

अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-मधुबनी, शिवहर, बांका, अरवल, सीवान, बक्सर
सुपौल, औरंगाबाद, वैशाली (हाजीपुर), कटिहार, पश्चिमी चम्पारण, (बेतिया) एवं गोपालगंज।

विषय:-

मुख्य शीर्ष-3456 सिविल पूर्ति, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 001 निदेशन तथा प्रशासन,
उपशीर्ष 0003 जिला प्रभार (उपभोक्ता संरक्षण) मांग सं०-18 विपत्र कोड 18-
3456000010003 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु कुल 1,87,42,000/-
(एक करोड़ सत्तासी लाख बेयालीस हजार) रुपये का आवंटन एवं व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग के पत्रांक-2561/वि०
दिनांक-17.04.1998, पत्रांक-227/वि० दिनांक-28.03.2025, पत्रांक-235/वि० दिनांक-01.04.2025 एवं
पत्रांक-600/वि० दिनांक-06.08.2025 में निहित निदेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु
विषयांकित शीर्ष के अन्तर्गत संलग्न तालिका 'क' एवं 'ख' के अनुसार मदवार कुल 1,87,42,000/- (एक
करोड़ सत्तासी लाख बेयालीस हजार) रुपये कॉलम 5 के अनुसार आवंटित किये जाते हैं :-

तालिका

क्र०	विस्तृत शीर्ष	विषय शीर्ष	बजट उपबंध	आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1	01-वेतन	01 वेतन	17,09,860,00	95,55,000
		02 विशेष वेतन	68,49,000	9,00,000
		03 जीवन यापन भत्ता	12,12,78,000	49,50,000
		04 मकान किराया भत्ता	2,43,36,000	3,86,000
		05 परिवहन भत्ता	66,55,000	60,000
		06 चिकित्सा भत्ता	24,48,000	00
		07 अन्य भत्ता	27,90,000	5,000
	योग-18-3456.00.001.0003.01-वेतन		33,53,42,000	1,58,56,000
2	06 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	8,50,000	00
	योग-18-3456.00.001.0003.06-चिकित्सा प्रतिपूर्ति		8,50,000	00
3	11 यात्रा व्यय	01 यात्रा व्यय	65,00,000	8,95,000
	योग-18-3456.00.001.0003.11-यात्रा व्यय		65,00,000	8,95,000
4	13 कार्यालय व्यय	01 कार्यालय व्यय	44,50,000	1,25,000
		02 वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव	9,50,000	1,75,000
		03 दूरभाष	18,00,000	00
		04 विद्युत प्रभार	28,00,000	1,80,000
		05 विधि प्रभार	5,00,000	00
		06 वर्दी/पोशाक	00	00
		07 विद्युत प्रभार डी०पी०एस०	4,00,000	00

		10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान	5,50,000	00
	योग-18-3456.00.001.0003.13-कार्यालयी व्यय		1,14,50,000	4,80,000
05	14 किराया दरें और कर	01 किराया महसूल एवं कर	1,29,00,000	00
	योग-18-3456.00.001.0003.14-किराया दरें और कर		1,29,00,000	00
06	20 अन्य प्रशासनिक व्यय	02 कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार	25,000	00
		03 प्रशिक्षण व्यय	8,50,000	00
	योग-18-3456.00.001.0003.20-अन्य प्रशासनिक व्यय		8,75,000	00
07	21 सामग्री और आपूर्ति	01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	4,16,000	00
	योग-18-3456.00.001.0003.21-सामग्री और आपूर्ति		4,16,000	00
08	26 विज्ञापन और प्रकाशन	01 विज्ञापन और प्रकाशन	65,00,000	00
	योग-18-3456.00.001.0003.26-विज्ञापन और प्रकाशन		65,00,000	00
09	28-व्यावसायिक सेवाये	02 संविदा सेवाये	5,80,00,000	14,11,000
	योग-18-3456.00.001.0003.28 व्यवसायिक सेवाये		5,80,00,000	14,11,000
10	51 मोटर वाहन	01 मोटरगाड़ी कार्यालय	1,000	00
	योग-18-3456.00.001.0003.51-मोटर वाहन		1,000	00
11	52 मशीनें एवं उपस्कर	02 मशीनें एवं उपस्कर-अन्य	1,000	00
	योग-18-3456.00.001.0003.52-मशीनें एवं उपस्कर		1,000	00
	कुल योग-18-3456.00.001.0003-जिला प्रभार (उपभोक्ता संरक्षण)		43,28,35,000	1,87,42,000

2. कुल 1,87,42,000/- (एक करोड़ सतासी लाख बेयालीस हजार) रुपये का आवंटन इस आवंटनादेश से निर्गत किया जा रहा है जिसकी विवरणी 'क' एवं 'ख' में निम्नवत् है :-

: क :

क्र0	जिला कार्यालय का नाम	वेतन	विशेष वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान किराया भत्ता	परिवहन भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिलोष आयोग, मधुबनी	2300000	100000	1150000	00	00	00	00	3550000
2	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिलोष आयोग, शिवहर	1200000	00	700000	00	00	00	00	1900000
3	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिलोष आयोग, बांका	1455000	100000	550000	50000	50000	00	00	2205000
4	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिलोष आयोग, गोपालगंज	2800000	100000	1400000	136000	00	00	00	4436000
5	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिलोष आयोग, अरवल	1000000	500000	750000	200000	10000	00	5000	2465000
6	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिलोष आयोग, सीवान	800000	100000	400000	00	00	00	00	1300000
	कुल योग:-	9555000	900000	4950000	386000	60000	0	5000	15856000

: ख :

क्र0	जिला कार्यालय का नाम	यात्रा व्यय 11 01	कार्यालय व्यय 13 01	भाड़े की गाड़ी का भुगतान 13 10	विद्युत प्रभार 13 04	वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव 13 02	संविदा सेवाएँ 28 02	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिलोष आयोग, बिहार, पटना	200000	75000	100000	00	175000	00	550000
2	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिलोष आयोग, बांका	95000	50000	00	150000	00	00	295000
3	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिलोष आयोग, मधुबनी	00	00	00	00	00	361000	361000
4	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिलोष आयोग, बक्सर	50000	00	00	00	00	00	50000
5	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिलोष आयोग, औरंगाबाद	100000	00	00	00	00	00	100000
6	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिलोष आयोग, शिवहर	50000	00	00	30000	00	50000	130000
7	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिलोष आयोग, गोपालगंज	00	00	00	00	00	300000	300000
8	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिलोष आयोग, अरवल	00	00	00	00	00	400000	400000
9	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिलोष आयोग, सीवान	100000	00	00	00	00	00	100000

क्र०	जिला कार्यालय का नाम	यात्रा व्यय 11 01	कार्यालय व्यय 13 01	भाड़े की गाड़ी का भुगतान 13 10	विद्युत प्रभार 13 04	वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव 13 02	संविदा सेवाएँ 28 02	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सुपौल	000	00	00	00	00	300000	300000
11	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, कटिहार	100000	00	00	00	00	00	100000
12	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, वैशाली (हाजीपुर)	100000	00	00	00	00	00	100000
	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पश्चिमी चम्पारण (वेतिया)	100000	00	00	00	00	00	100000
	कुल :-	895000	125000	100000	180000	175000	1411000	2886000

3. राशि की निकासी अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बिहार पटना/निदेशक उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन पटना से तथा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्षों द्वारा एवं उनकी अनुपस्थिति में जिला पदाधिकारी द्वारा संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।

4. राशि की निकासी पूर्णतः वित्तीय नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों में निहित निदेश के आलोक में की जायेगी। गलत एवं अधिक निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

5. संविदा पर नियोजित कर्मियों का मानदेय व्यावसायिक सेवाएँ अन्तर्गत संविदा सेवाएँ मद से देय होगी। बेल्ट्रॉन के माध्यम से संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों के मानदेय की राशि इस आवंटन में सम्मिलित है।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह की 10वीं तिथि तक इकाईवार व्यय प्रतिवेदन निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

7. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में होने वाले पूर्ण व्यय का आकलन करते हुए पूर्व में प्रेषित विभागीय पत्र के आलोक में दिये जा रहे आवंटन के अतिरिक्त यदि और राशि की आवश्यकता हो तो पूर्ण औचित्य के साथ इकाईवार विस्तृत विवरणी सहित राशि की अधियाचना उपलब्ध करायी जाय।

8. इस आवंटन में सदस्यों के मानदेय की राशि भी सम्मिलित है।

9. इस आवंटन से स्वीकृत बल के आलोक में कार्यरत कर्मचारियों/पदाधिकारियों को ही नियमतः भुगतान किया जाय।

विश्वासभाजन,

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट आवंटन(स्था0 एवं प्रति0 व्यय)-03/2025 29(वजट) खाद्य, पटना/दिनांक 25/09/2025
प्रतिलिपि:-महालेखाकार बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव। 25/9/25

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट आवंटन(स्था0 एवं प्रति0 व्यय)-03/2025 29(वजट) खाद्य, पटना/दिनांक 25/09/2025
प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव। 25/09/2025

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट आवंटन(स्था0 एवं प्रति0 व्यय)-03/2025 29(वजट) खाद्य, पटना/दिनांक 25/9/25
प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, (बजट शाखा), बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना/सचिव कोषागार, आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता एवं संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।